

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर
क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008/अलेसे-111/

दिनांक :- 12-09-2012

आदेश संख्या 180 / 2012-13

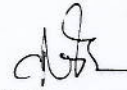
निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जो वर्तमान में उनके नाम के आगे अंकित विभाग/कार्यालय में अस्थाई कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी कनिष्ठ लेखाकार का आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को आदेश दिये जाते हैं कि वे संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, नागनेचेजी मंदिर के पास, शिवबाडी रोड़, बीकानेर पर दिनांक 24.09.2012 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। प्रशिक्षण अवधि 13 सप्ताह की होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा।

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	51	दिनेश कुमार जैन	मुख्य अभियन्ता, इगानप, जैसलमेर
2.	60	महेन्द्र कुमार डीगवाल	जिला न्यायाधीश, राजसमन्द
3.	63	सुभाष चन्द डीगवाल	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा, राजसमन्द
4.	64	रतन लाल सालवी	उपकोषालय, लसाडिया (उदयपुर)
5.	65	रविकान्त थानवी	जिला कलक्टर, जैसलमेर
6.	66	मुकेश कुमार मुण्डोतिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द
7.	76	जयसिंह	कोषालय, जालौर
8.	83	रवि शर्मा	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कुम्भलगढ (राजसमन्द)
9.	84	कुलदीप कुमार साकरवाल	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सिरौही
10.	96	सुरेश कुमार मीना	कोषालय, राजसमन्द
11.	99	अशोक कुमार	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), राजसमन्द
12.	100	शीतल सैनी	उपकोषालय, खाजूवाला (बीकानेर)
13.	108	भंवर लाल	सर्व शिक्षा अभियान, सिरौही
14.	109	बलदेवा राम	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, सिरौही
15.	110	सुशील कुमार जुनवाल	कोषालय, जैसलमेर
16.	115	दीपक हर्ष	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त जैसलमेर
17.	117	राजेश कुमार रैगर	जिला एवं सत्र न्यायालय, सिरौही
18.	130	राजीव कुमार शर्मा	कोषालय, जैसलमेर
19.	134	मुकेश	जिला परिषद (नरेगा), राजसमन्द
20.	137	सुभाष चन्द	जिला कलक्टर, सिरौही
21.	138	प्रवीण दैया	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), जैसलमेर
22.	142	सेणो दान चारण	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा, जैसलमेर
23.	152	नरेश चन्द मीना	उपकोषालय, कुम्भलगढ (राजसमन्द)
24.	154	बनवारी लाल मीना	उपकोषालय, रेलमगरा (राजसमन्द)
25.	155	रेवत राम सिंघाडिया	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर

उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32 {2} के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें किसी कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन एवं भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही वे निर्धारित प्रपत्र में बाण्ड भरकर पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार दर्शाये गये कॉलम संख्या 4 में अंकित पूर्व पदस्थापित विभाग में उपस्थिति देंगे।


निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008, अलेसे-111/ 5194-5243

दिनांक :- 12-09-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, H0च0मा0राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, (योजना) H0च0मा0स0 राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, नागनेचेजी मंदिर के पास, शिववाडी रोड़, बीकानेर को आदेश की अतिरिक्त प्रति एवं बाण्ड फार्म प्रेषित कर निवेदन है कि बाण्ड फार्म कनिष्ठ लेखाकारों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करेंगे।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करते समय इनका सेवाभिलेख एवं एल0पी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर कॉलम संख्या 3 में अंकित संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को आपके विभाग में कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

5. श्रीकनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....

6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)